भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3453

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं

3453. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी अवसंरचना की स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की गई स्वास्थ्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यान्वित की गई स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** समतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है तथा स्वास्थ्य सेवाओं की अवसंरचना स्थिति में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र (ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभ हैं।

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 3000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 20,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000

(पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, जिला अस्पताल (डीएच), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और प्रथम रेफरल इकाई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए माध्यमिक परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में रूपांतरित किया गया है जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरओपी के तहत स्वीकृत परियोजनावार और वर्षवार बजट नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता 2022-23 रिपोर्ट, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जाती है, 31.03.2023 तक देश में संचालनरत स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, उपलब्ध संसाधनों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम): पीएम-एबीएचआईएम 64180/- करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश भर में भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। योजना की अवधि 5 वर्षों के लिए है, अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक। योजना के सीएसएस घटकों के तहत, निम्नलिखित पाँच क्रियाकलाप हैं जहाँ योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता का प्रावधान है:

- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में 17,788 भवनहीन उप-केंद्रों हेतु निर्माण, जिसे अब आयुष्मान आरोग्यमंदिर (एएएम) के रूप में जाना जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में स्लम और स्लम जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, अब एएएम, की स्थापना।
- ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना,

- देश में 730 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स (आईपीएचएल) की स्थापना, जिसमें प्रत्येक जिले में एक ऐसी लैब होगी।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना।

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और व्यय राशि का विवरण **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-II" (ईसीआरपी-II): कैबिनेट ने 08 जुलाई 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की राशि सहित ईसीआरपी-II योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 की शीघ्र रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है, जिसमें बाल चिकित्सा परिचर्या सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके परिणाम सराहनीय हैं। ईसीआरपी-II के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत राशि का विवरण **अनुलग्नक-2** में संलग्न है।

15वां वित्त आयोग: पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के लिए है और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी)/ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के माध्यम से मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन का प्रावधान है। अब तक इस योजना के तहत 75 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' वाली केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक-1

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय

करोड़ रु.में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		केंद्रीय निर्गत	**व्यय**	**केंद्रीय निर्गत**	**व्यय**	**केंद्रीय निर्गत**	**व्यय**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	1.11	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	3.75	-	15.76	6.25	35.78	28.85
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	-	0.10	-	8.83	2.25
4	असम	57.90	-	2.26	1.16	91.45	68.45
5	बिहार	125.86	-	7.17	-	-	50.69
6	चंडीगढ़	-	-	4.79	1.73	10.38	5.83
7	छत्तीसगढ़	11.25	-	1.34	11.01	32.23	19.64
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	-	-	0.24	-	0.28	0.21
9	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
10	गोवा	-	-	0.06	-	3.75	0.00
11	गुजरात	-	-	29.54	32.24	46.04	56.13
12	हरियाणा	11.06	-	1.31	-	17.67	16.63
13	हिमाचल प्रदेश	-	-	28.05	9.98	15.69	15.27
14	जम्मू एवं कश्मीर	16.11	-	1.00	-	44.01	36.67
15	झारखंड	44.70	-	183.04	240.87	102.27	454.05
16	कर्नाटक	11.25	-	37.10	18.75	100.57	104.47
17	केरल	3.75	-	24.89	4.72	-	36.66
18	लद्दाख	-	-	0.00	-	0.62	0.31
19	लक्षद्वीप	-	-	0.63	-	-	0.07
20	मध्य प्रदेश	22.85	-	98.70	99.43	228.52	300.93
21	महाराष्ट्र	17.45	-	4.07	-	31.76	34.47

22	मणिपुर	4.56	-	10.92	4.56	13.78	16.89
23	मेघालय	9.65	-	43.28	8.80	4.42	28.02
24	मिजोरम	0.28	-	1.52	0.27	4.52	1.32
25	नागालैंड	0.28	-	0.08	-	4.42	0.60
26	ओडिशा	32.15	-	211.46	258.55	171.58	423.43
27	पुदुचेरी	0.42	-	0.19	0.62	2.67	2.88
28	पंजाब	-	-	24.16	-	-	2.07
29	राजस्थान	45.37	-	83.59	108.50	173.06	280.43
30	सिक्किम	-	-	0.75	0.26	3.88	2.05
31	तमिलनाडु	17.45	29.08	150.42	183.35	279.36	389.37
32	तेलंगाना	11.25	-	53.88	83.75	95.21	141.73
33	त्रिपुरा	-	-	0.90	0.38	2.48	1.43
34	उत्तर प्रदेश	124.63	-	173.71	254.04	247.96	252.69
35	उत्तराखंड	1.56	-	32.31	1.60	-	16.35
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	-	9.75	30.91	49.78
नोट:							
1. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।							
2. उपरोक्त जारी केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।							

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईसीआरपी-II के अंतर्गत केंद्रीय सहायता अनुदान जारी करने संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(करोड़ रु.में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.22
2	आंध्र प्रदेश	417.91
3	अरुणाचल प्रदेश	149.13
4	असम	731.22
5	बिहार	1032.87
6	चंडीगढ़	9.47
7	छत्तीसगढ़	376.07
8	दादरा एवं नगर हवेली	4.76
9	दमन और दीव	
10	दिल्ली	30.21
11	गोवा	11.78
12	गुजरात	479.22
13	हरियाणा	182.42
14	हिमाचल प्रदेश	344.79
15	जम्मू एवं कश्मीर	407.30
16	झारखंड	383.34
17	कर्नाटक	504.04
18	केरल	173.89
19	लद्दाख	62.51
20	लक्षद्वीप	1.49
21	मध्य प्रदेश	874.35
22	महाराष्ट्र	820.77
23	मणिपुर	98.73
24	मेघालय	104.12
25	मिजोरम	61.25
26	नागालैंड	77.60
27	ओडिशा	517.18
28	पुदुचेरी	5.42
29	पंजाब	198.89

30	राजस्थान	883.37
31	सिक्किम	41.05
32	तमिलनाडु	479.59
33	तेलंगाना	298.68
34	त्रिपुरा	83.72
35	उत्तर प्रदेश	1879.88
36	उत्तराखंड	394.22
37	पश्चिम बंगाल	604.76
नोट:		
1. ईसीआरपी का तात्पर्य भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज से है।		
2. ईसीआरपी-चरण II के अंतर्गत जारी किया गया है तथा यह एनएचएम के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार है।		

******